

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने बाल सुविधा संस्थानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा का शुभारंभ किया

Posted On: 05 MAY 2017 7:22PM by PIB Delhi

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने आज यहां बाल सुविधा संस्थानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज, महिला एवं बाल विकास सचिव सुश्री लीना नायर और मंत्रालय, सीएआरए तथा चाइलुङ लाइन के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि बाल सुविधा संस्थान (सीसीआई) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि अब सीसीआई के लिए अपने पंजीकरण में सुविधा हो जाएगी। श्रीमती गांधी ने कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण से एक केंद्रीय प्रणाली उपलब्ध होगी जहां देश में सीसीआई के बारे में सूचना प्राप्त हो सकेगी। इससे पता चलेगा कि प्रत्येक सीसीआई में कितने बच्चे हैं और कितने गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज ने कहा कि नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा बच्चों की सुरक्षा और देखभाल संभव होगी।

महिला एवं बाल विकास सचिव सुश्री लीना नायर ने कहा कि नई सुविधा को इसलिए तैयार किया गया है ताकि सभी बाल सुविधा संस्थानों के लिए पंजीकरण संबंधी एकीकृत प्रणाली बनाई जा सके।

वर्तमान में सीसीआई के लिए दस्ती पंजीकरण प्रणाली मौजूद है, जिसका सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पालन करते हैं। इसके कारण सीसीआई की संख्या के बारे में कोई राष्ट्रीय डाटा बेस मौजूद नहीं है, इसके अलावा पारदर्शिता का भी अभाव है तथा सीसीआई की गतिविधियों की निगरानी करना कठिन है। प्रस्तावित ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली से इस काम में आसानी हो जाएगी।

वीके/एकेपी/एसकेपी- 1285

(Release ID: 1489347) Visitor Counter: 23

f







ın